स्व. वै

फर्द अहकाम

(नियम 26)

स्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/243 बअनवान हुलासी कंवर बनाम चिराग कुमार वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा ।। के खसरा नंबर 3202 रकबा 4.15 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर यानि 16/83वां हिस्सा प्रार्थीनी का खरीदशुदा हिस्सा है तथा प्रार्थीनी रिकॉर्डेड सहखातेदार होने से विभाजन का वाद पेश किया है। विभाजन के वाद के निर्णय में ही तय होगा कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से बंट में कौनसी भूमि रखी जायेगी, अतः मूल वाद के निर्णय तक उभयपक्षकारान वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा ।। के खसरा नंबर 3202 रकबा 4.15 हैक्टर के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगें। इसी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	